दैनिक
# न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

## आवश्यक सूचना

**आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।**

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 29 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 61

## महत्वपूर्ण एवं खास

### कार से 21.45 लाख रुपये जब्त, विदेशी करेंसी भी शामिल

**रांची (आरएनएस)।** तमाड़ थाना क्षेत्र के डोड़ेया मोड़ के समीप से एक स्वीफ्ट कार से पुलिस ने 21.45 लाख रुपये जब्त किये है। जब्त रुपये में विदेशी करेंसी भी शामिल है। रुपये यूणीमणी फाइनेशियल सविसेज लिमिटेड की है। एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। 21 लाख 45 हजार 450 रुपये स्वीफ्ट कार (जेएच 05 बीएन 0728)जब्त किये गये है।पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। किसी को भी 50 हजार रुपये से अधिक नकदी लेकर चलने पर पांबदी है। साथ ही हाइवे और चौक-चौराहों पर एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) तैनात की गई हैं जो वाहनों की लगातार जांच कर रही है।

### राष्ट्रपति ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया

**वृंदावन (आरएनएस)।** राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को वृंदावन (उत्तर प्रदेश) में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल के नए अस्पताल ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 5.5 मरीजों ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल, वृंदावन में अपना इलाज कराया है। इस अस्पताल में नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं जिनमें कैंसर वार्ड, कैंसर ऑपरेशन थिएटर, महिलाओं का सर्जिकल वार्ड और नवजात शिशुओं की गहन देखभाल यूनिट (आईसीए) शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सेवाओं के माध्यम से मरीजों का बेहतर इलाज होगा।

### झारखंड विधानसभा आम चुनाव के एक्जिट पोल पर पाबंदी

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की उपधारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए 30 नवम्बर, 2019 (शनिवार) के सवेरे 7 बजे से 20 दिसंबर, 2019 (शुक्रवार) की शाम 5.30 बजे के बीच अवधि को अधिसूचित करते हुए इस अवधि के दौरान कोई एक्जिट पोल कराने, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया या किसी भी तरीके से एक्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित और प्रचारित करने पर प्रतिबंध लगाया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के अंतर्गत आम चुनाव के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के समय तक इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल के परिणामों तथा अन्य चुनाव सर्वे सहित चुनाव सामग्री प्रदर्शित करने पर पाबंदी होगी।

### सीआईसी में 13 हजार से अधिक मामले लंबित

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग में 13,000 से अधिक मामले एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित हैं। कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया ''सीआईसी में एक साल से अधिक समय तक लंबित मामलों की कुल संख्या 13,453 है।

# प्रज्ञा के बयान पर लोकसभा में हुआ वॉकआउट

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लोकसभा में चर्चा के दौरान कथित तौर पर देशभक्त बताने संबंधी साध्वी प्रज्ञा के बयान पर घमासान मचा हुआ है। गुरुवार को लोकसभा में जैसे ही प्रश्न काल शुरू हुआ, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल प्रज्ञा के बयान पर हंगामा करने लगे। विपक्षी दलों की मांग थी कि प्रज्ञा के बयान पर चर्चा हो लेकिन स्पीकर ने इसे ठुकरा दिया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गोडसे को देशभक्त कहे जाने की उनकी पार्टी निंदा करती है लेकिन असंतुष्ट कांग्रेसी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए।

गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के तमाम नेता प्रज्ञा के बयान पर चर्चा की मांग करने लगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा महात्मा गांधी की हत्या करने वालों को देशभक्त बताया जा रहा है। यह सरकार नाथूराम गोडसेपंथी है।

#### स्पीकर ने प्रज्ञा के बयान पर चर्चा की मांग को ठुकराया

इस पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि संबंधित सांसद के बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। इस पर भी जब विपक्षी सदस्यों का हंगामा नहीं थमा तो स्पीकर ने साफ कहा कि जो बात सदन के रेकॉर्ड में ही नहीं है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

#### राजनाथ के बयान से भी संतुष्ट नहीं हुए विपक्षी दल

विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच स्पीकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी बात रखने को कहा। रक्षा मंत्रीने कहा कि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, देशभक्त मानने की अगर किसी की सोच भी है, तो उनकी पार्टी इसकी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि जहां तक महात्मा गांधी का संबंध है, वह पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे, भविष्य में भी रहेंगे। उनकी विचारधारा कल भी प्रासंगिक थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं। सभी अपना प्रेरणास्रोत मानते हैं। रक्षा मंत्री के बयान से भी विपक्षी दल संतुष्ट नहीं हुए और विरोध में सदन से वॉकआउट कर गए।

#### गांधी के हत्यारे की समर्थक हैं प्रज्ञा ठाकुरः ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा, श्यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने (प्रज्ञा) इस तरह की बात कही है। यह दिखाता है कि वह गांधी की दुश्मन हैं और उनके हत्यारों की समर्थक हैं। मैंने स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, देखते हैं क्या होता है।

#### भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर पर लिया गया बड़ा फैसला

भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर बड़ा फैसला लिया गया है। उन्हें रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिया गया है। यह जानकारी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिया जाएगा और इसके अलावा इस सत्र में उन्हें संसदीय दल की बैठकों में भाग लेने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। जेपी नड्डा ने प्रज्ञा ठाकुर द्वारा बुधवार को संसद में नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त करार दिए जाने के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह के बयान और विचारधारा का समर्थन नहीं करती है।

# बच्चों से जुड़ी अश्लीलता वाली 377 वेबसाइट हटी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली करीब 377 वेबसाइटों को हटा दिया गया है और बाल उत्पीड़न के संबंध में 50 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

शून्यकाल के दौरान अन्नाद्रमुक सदस्य विजिला सत्यानंद द्वारा इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का मुद्दा उठाए जाने पर स्मृति ने यह भी कहा कि इस तरह की किसी भी घटना की उन्हें तत्काल सूचना दी जाए ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। विजिला ने कहा था कि मोबाइल फोन और इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तक आसानी से पहुंच होने की वजह से बाल उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट एवं सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री की बहुतायत होने का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग हर दिन बच्चियों के यौन उत्पीड़न की खबरें आती हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें ऐसी सामग्री से बचाना जरूरी है लेकिन पोर्नोग्राफी तक आसानी से पहुंच के कारण बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर हस्तक्षेप करते हुए स्मृति ने कहा कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली करीब 377 वेबसाइटों को हटा दिया गया है और बाल उत्पीड़न के संबंध में 50 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। स्मृति ने कहा कि अगर उन्हें घटनाओं का ब्यौरा तत्काल दिया जाए तो वह फौरन प्रशासनिक कार्रवाई करेंगी। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध किया।

## संसदीय दल की बैठक में सोनिया का मोदी सरकार पर हमला

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में मोदी सरकार को लेकर हमला बोला। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर बात की। महाराष्ट्र में भाजपा के सरकार बनाने को उन्होंने बेशर्मी वाले प्रयास बताए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बेशर्मी भरे प्रयास किए। राज्य में मोदी-शाह की साजिश नाकाम हो गई है।

इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा बेचे जाने पर उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नरेंद्र मोदी के दोस्तों को बेचा जा रहा है। सोनिया ने वाट्सएप जासूसी कांड को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हमारे मौलिक अधिकारों छीन रही है। कांग्रेस नेता ने जम्मू-कश्मीर में यूरोपीय सांसदों को भेजे जाने पर भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के राजनेताओं को जम्मू-कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं है लेकिन कुछ यूरोपीय सासंदों को भेजा गया। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शर्मनाक कृत्य था। इसके अलावा भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में नाथूराम गोडसे को देशक्त कह दिया था। जिसे लेकर सोनिया ने कहा, श्हमारी पार्टी ने इस मुद्दे पर वह सब कुछ कहा है जो कि कहा जाना चाहिए। वहीं आज महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार शपथ लेने वाली है।

## अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना विकास के लिए 25.58 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** शिपिंग मंत्रालय ने गुरुवारा को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत मणिपुर में लोकतक अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर 25.58 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। लोकतक झील दरअसल पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर के मोइरंग में है।

शिपिंग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि पूर्वोत्तर अत्यंत आकर्षक भू-परिदृश्य वाला एक मनोरम क्षेत्र है और वहां पर्यटन के लिए अपार अवसर हैं।

## भ्रष्टाचार, आतंकवाद के मामलों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद के विशेष कानूनों के तहत दोषी व्यक्ति को सुनाई गई कारावास की भिन्न सजाओं के लिए एक साथ कैद की बजाए एक के बाद एक सजा भुगतने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अमेरिका जैसे देशों में किसी भी अपराधी को अलग-अलग मामलों में मिली सजाए एक चलने की बजाए एक के बाद एक भुगतनी होती है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की तीन सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की इस दलील को स्वीकार किया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि शीर्ष अदालत ने इस साल मार्च में ही केंद्र को इस मामले में नोटिस जारी किया था। उपाध्याय ने कहा कि याचिका पर केंद्र का जवाब आ गया है और अब यह मामला सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, अतरू इसे शीघ्र सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि मामले को चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिका में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के एक प्रावधान के तहत दोषी व्यक्ति अलग-अलग अपराधों के लिए मिली सजा को एक साथ काट सकता है लेकिन यह प्रावधान नृशंस अपराधों के लिए लागू नहीं होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए), भ्रष्टाचार रोकथाम कानून (पीसीए), बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध कानून, धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए), विदेशी योगदान (विनिमय) कानून (एफसीआरए), काला धन एवं कर चोरी कानून और भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून जैसे विशेष अधिनियमों पर लागू नहीं होनी चाहिए।

# तीनों सेनाओं के लिए 22,800 करोड़ मूल्य के पूंजीगत सामान की खरीद को मिली मंजूरी

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें तीनों सेनाओं के लिए 22,800 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के पूंजीगत सामान की खरीद को मंजूरी दी गई। 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए डीएसी ने असॉल्ट राइफलों हेतु 'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' के स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण के लिए मंजूरी दी। 'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' का विनिर्माण भारत के निजी उद्योग द्वारा किया जाएगा और इनका उपयोग अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों द्वारा किया जाएगा। 'थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स' से सैनिकों को अंधेरे के साथ-साथ हर तरह के मौसम में लम्बी दूरी से सटीक निशाना लगाने में मदद मिलेगी, जिससे रात्रि में भी बड़ी तत्परता के साथ जंग करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

सफल स्वदेशी 'एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यूएंडसी)' कार्यक्रम के बाद डीएसी ने अतिरिक्त एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एडब्ल्यूएसीएस) इंडिया एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकार्यता को दोबारा सत्यापित किया। इन विमानों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा मिशन प्रणालियों और उप-प्रणालियों की स्वदेश में ही डिजाइनिंग की जाएगी और फिर इनका विकास किया जाएगा तथा बाद में मुख्य प्लेटफॉर्म पर इन्हें एकीकृत किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म विमान पर ही कमांड एवं कंट्रोल तथा 'पूर्व चेतावनी' सुलभ कराएंगे, जिससे भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को हवाई क्षेत्र में कम से कम समय में प्रभावकारी वर्चस्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इन प्रणालियों को शामिल करने से हमारे देश की सीमाओं पर कवरेज बढ़ जाएगी और इससे भारतीय वायु सेना की हवाई रक्षा तथा आक्रामक क्षमता दोनों को ही काफी हद तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

## सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। चिदंबरम को सीबीआई वाले मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में भी जमानत मिलने पर वे जेल से बाहर आ जाएंगे। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चिदंबरम से मुलाकात की थी। आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह आर्थिक अपराध का बहुत बड़ा मामला है और चिदंबरम बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

## 'कुल्हड़ चाय' की सोंधी खुशबू से महकेंगे राजस्थान के रेलवे स्टेशन

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** 'कुल्हड चाय' की सोंधी खुशबू जल्द ही राजस्थान के अनेक रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली है। जिन रेलवे स्टेशनों के यात्री इस चाय का लुत्फ उठा सकेंगे उनमें बीकानेर, सिरसा, भिवानी, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सूरतगढ़, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, भगत की कोठी, लूनी, जयपुर, झुंझुनूं, दौसा, गांधी नगर, दुर्गापुरा, सीकर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही रोड और आबू रोड आदि शामिल हैं।

इससे पहले केन्द्रीय एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) मंत्री नितिन गडकरी के अनुरोध पर केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड को इस संबंध में निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष वी.के. सक्सेना ने पिछले वर्ष केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया था कि प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर कुल्हड़ और मिट्टी के अन्य बर्तनों का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना के तहत वाराणसी और रायबरेली रेलवे स्टेशनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। इस परियोजना के लिए अनुमति दी गई और संबंधित डीआरएम द्वारा पेश की गई इन दो रेलवे स्टेशनों से जुड़ी 6 माह की रिपोर्ट अत्यंत उत्साहवर्धक पाई गई।

# जल्द ही शहद के क्यूब बनाएगा खादी ग्रामोद्योग

### » चीनी की जगह कर सकते हैं प्रयोगः गडकरी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** देश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी बड़े स्तर पर होने की बात स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरूवार को कहा कि सरकार ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास कर रही है और ऐसे ही अनेक प्रयासों के तहत अगले कुछ महीने में खादी ग्रामोद्योग आयोग शहद के क्यूब लांच करने जा रहा है जिन्हें चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि सरकार शहद के क्लस्टर बना रही है और उच्च गुणवत्ता के शहद से चीनी की तरह ही क्यूब बनाने की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने सुनील कुमार पिंटू के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि खादी ग्रामोद्योग आगामी कुछ महीने में शहद के क्यूब की बिक्री शुरू करेगा। गडकरी ने कहा कि अगले छह महीने के अंदर लोग चीनी के क्यूब की जगह शहद के क्यूब डालकर चाय पी सकेंगे। उन्होंने बताया कि एमएसएमई मंत्रालय 'भारत क्राफ्ट' नाम से नया ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करने जा रहा है और इसे भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर चलाने की योजना है। गडकरी ने बताया कि इस पोर्टल पर एमएसएमई के सभी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और न्यूयॉर्क में बैठकर कश्मीर का शॉल खरीदा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नए विचारों और नवोन्मेष के लिए एक वेबसाइट भी शुरू होने वाली है।

# संसद से मिली चिटफंड विधेयक को मंजूरी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** चिट फंड क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास में आ रही अड़चनों को दूर करने और लोगों तक बेहतर वित्तीय पहुंच बनाने के मकसद से लाए गए चिट फंड (संशोधन) विधेयक-2019 को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है। संसद की मंजूरी के बाद अब चिट फंड की मौद्रिक सीमा को तीन गुना बढ़ाने तथा 'फोरमैन' के कमीशन को सात प्रतिशत करने के प्रावधान वाले इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है।

उच्च सदन में इस विधेयक पर हुई चर्चा पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा कि गरीबों से जुड़ा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। उन्हें उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, इसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि पोंजी और चिट फंड में अंतर है। पोंजी अवैध होता है जबकि चिट फंड वैध कारोबार है। उन्होंने कहा कि विधेयक में चिट फंड की मौद्रिक सीमा को तीन गुना बढ़ाने तथा 'फोरमैन' के कमीशन को सात प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि 'फोरमैन' का आशय उस व्यक्ति से है जो चिट चलाता है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इसके तहत व्यक्ति के रूप में चिट की मौद्रिक सीमा को एक लाख रूपये से बढ़ाकर तीन लाख रूपये किया गया है जबकि फर्म के लिये इसे छह लाख रूपये से बढ़ाकर 18 लाख रूपये कर दिया गया है।

गौरतलब है कि चिट फंड सालों से छोटे कारोबारों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए निवेश का स्रोत रहा है लेकिन कुछ पक्षकारों ने इसमें अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई थी जिसके बाद सरकार ने एक परामर्श समूह बनाया। 1982 के मूल कानून को चिट फंड के विनियमन का उपबंध करने के लिए लाया गया था। संसदीय समिति की सिफारिश पर कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाया गया। उक्त विधेयक पिछली लोकसभा सत्र में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही यह निष्प्रभावी हो गया।विधेयक में चिट फंड की परिभाषा को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा ले रहे ज्यादातर सदस्यों ने चिट फंड में निवेश करने वाले छोटे निवेशकों के धन की सुरक्षा के लिए सरकार से समुचित उपाय करने को कहा।

चर्चा में भाजपा के अमर शंकर काबले, राजद के मनोज कुमार झा, कांग्रेस के कुमार केतकर, भाजपा के शिवप्रताप शुक्ला, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, भाजपा के जीवीएल नरसिम्हराव एवं अनिल अग्रवाल एवं डा. अशोक बाजपेयी ने भाग लिया।